खस्ताहाल प्रशासन ने जाम किया ट्रैफिक

करनालः (प्रवीण कुमार) ट्रैफ़िक कन्ट्रोल या सुधार के नाम पर महात्मा गांधी चौक से सैक्टर 12 कोर्ट, सचिवालय, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज व पटेल कलॉथ मार्केट को जाने वाली सड़क को बन्द कर दिया गया। भ्रष्टाचार में डूब चुके नागरिको का जमीर पूरी तरह से मर चुका है। सदियों से जुल्म सहना तथा तानाशाही फ़रमानों के आगे सिर झुकाना हमारी आदत बन चुकी है। चाहे कोई रास्ता बन्द कर दे, बिजली के अनाप-शनाप रेट बढ़ा दे हम बर्दाश्त कर लेंगे इस सब का अहसास हमारे अन्धे-बहरे प्रशासन को पूरी तरह से है। शायद इसीलिये वह जब चाहे, किसी भी सड़क को सील कर सकता है।

हज़ारों लोग़ों को बेवजह एक किलोमीटर का चक्कर लगाने के लिये मजबूर किया जा रहा है। रोज़ाना कितना पेट्रोल, डीजल व समय फूंका जाता है इसका हिसाब लगाने की किसी ने जरूरत नहीं समझी। जबकि इस रास्ते को बन्द करने से जाम की स्थिति और बढ गई है। किसी को मरीज लेकर कल्पना चावला अस्पताल जाना हो व कोर्ट पेशी में जाने के लिये महात्मा गांधी चौक पर रास्ता बन्द होने से एक किलोमीटर लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है और जाम में फंसना पड़ता है वह अलग से।

अभी हाल ही में प्रशासन ने कमेटी चौक से रेड क्रास मार्केट तक डिवाईडर बना दिया और इस डिवाईडर के ऊपर 5-5 फुट के सरिये (जिसका न कोई डिजाईन है न खूबसूरती) गाड़ दिये जिसने रास्ता और जाम कर दिया तथा दुकानदारों का कारोबार ठप हुआ वो अलग से। इस सड़क के दोनों ओर बिजली के खम्बे खड़े है उन्हें हटाने की कोई योजना नहीं ताकि सड़क और खुली हो जाये। गत दिनों एक मोटर साईकिल बेकाबू हो गई जो सीधे सरीये से जा टकराई और चालक को गम्भीर हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा।

ज्ञातव्य है कि इस सड़क पर बिजली के खम्बों के साथ-साथ सीमेंट के खाली खम्बे, जिन पर न तो कोई तार बिछी है और न ही कोई लाईट लगी है वह वर्षों से खड़े हैं जिन्हें आज तक नहीं हटाया गया। कुंजपुरा रोड पर भी डिवाईडर बनाया गया जिसके दोनों ओर के खम्बे डिवाईडर के बीच में लगाकर सड़क खुलीकर दी व सरिये लगाने की बज़ाये थोड़े-थोड़े फासले पर पौंधों के गमले लगा कर बाज़ार की खूबसूरती बना दी। प्रशासन ने वहां से अकल लेनी भी ठीक नहीं समझी। जब रैडक्रास मार्केट से कमेटी चौक तक डिवाईडर बनाया गया तो रैडक्रास का रास्ता बन्द करके पटेल मार्केट के सामने से एक आने-जाने का रास्ता छोड़ा गया जिसे ट्रैफ़िक पुलिस के अधिकरी ने एक सप्ताह बाद बन्द कर दिया जिससे जाम स्थिति और बढ़ गई और एक किलोमीटर लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है तथा जाम में फंसना पड़ता है वह अलग से। जब इस संवाददाता ने ट्रैफ़िक पुलिस अधिकारी से पूछा कि जब ये रास्ता आने-जाने के लिये पहले भी था और अब भी बनाया गया है तो आपने इस रास्ते को क्यों बन्द किया तो ट्रैफ़िक पुलिस इंचार्य ने कहा कि जाम बढ़ गया है डी सी के आदेश है इसलिये मैने बन्द कर दिया है। संवाददाता ने तत्कालीन उपायुक्त से रास्ता बन्द करने के बारे में जानकारी चाही तो उपायुक्त ने कहा कि मेरा ऐसा कोई आदेश नहीं है।

एक रास्ता पेट्रोल पम्प के मालिक ने खुलवाया वह भी इतना थोड़ा रास्ता खोला गया कि एक तरफ़ से ट्रैफ़िक को रूकना पड़ता है तब दूसरी तरफ़ का ट्रैफिक निकलता है जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है।

सवाल ये उठता है कि अकल के अन्धे ट्रैफ़िक पुलिस अधिकारी को दिखाई नहीं देता कि कमेटी चौक, रेलवे रोड, कर्ण गेट चौक पर रिक्शा, आटो रिक्शा व सड़क के ऊपर व दुकानों के आगे फुटपाथो पर रेहड़ियां, रेडीमेड कपड़ों के स्टाल लग़ाकर इंन्क्रोचमैन्ट करके बैठे है तथा स्थायी तौर पर बैठे रेहड़ी फड़ी स्टाल वाले जो रात को भी अपनी रेहड़ियां व स्टाल को ताला लग़ाकर सड़क पर छोड़ कर चले जाते हैं, उन्हें हटा दे तो रास्ता जाम क्यों लगे। हटाये क्यों, क्योंकि उनसे उन्हें मंथली जो मिलती है और खाने पीने को भी मुफ़्त।

यही हाल नेता जी मार्केट का है कि ट्रैफ़िक पुलिस बूथ के पास डिवाईडर से दूसरी ओर जाने के लिये जो रास्ता बना है वहीं पर लोग़ अपनी कार खड़ी कर रास्ता रोककर के चले जाते हैं, परन्तु पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती बल्कि ट्रैफ़िक पुलिस अधिकारी कहता है कि चालान करके अपनी बदली थोड़ा करवानी है न जाने कौन से उच्चाधिकरी का नजदीकी हो। है भी ठीक-क्यों करवायेंगे अपनी बदली आखिर ट्रैफ़िक पुलिस में रहकर कमाई जो करनी होती है। कर्ण गेट के अन्दर जो एमरजेन्सी के दौरान 3-4 फुट दुकानों को आगे से तोड़ कर सड़क को चौड़ा किया गया था अब दुकानदारों ने किराये लेकर आगे फड़ी वाले बिठा दिये है जिससे जाम और बढ़ गया यहां तक कि लोग भी अपनी कारे बाजार के अन्दर ले जाने लगे है जिससे रास्ता जाम होता है। इस पर प्रतिबन्ध लगाना जरूरी है ताकि जाम न लगे लेकिन फ़िर वही बात न भूली, सदियों से जुल्म सहना तथा तानाशाही फरमानों के आगे सिर झुकाना हमारी आदत बन चुकी है।

भविष्यनिधि में कंसेलटेंसी के नाम पर दलाली

करनाल (म .मो) पिछले दिनों यहां करनाल के एक पी एफ कन्सलटेंट राजपाल गोयल ने ई पी एफ ओ के विजिलेंस विभाग के अधिकारियों समेत इस संगठन के शीर्ष अधिकारी यानि सी पी एफ सी पर अपनी पत्नी के साथ दुराचार करवाने का आरोप लगा दिया जो बाद में जांच करने पर झूठा पाया गया इस पर ई पी एफ ओ की ओर से राज पाल गोयल के विरुद्ध आई पी सी की धारा 182 के अंर्तगत कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मामले के पीछे इस कन्सलटेंट, कम्पनी मालिकों व इ पी एफ ओ के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत थी जिसमे बलि का बकरा राजपाल गोयल बन गया। यह राजपाल गोयल कंसल्टेंसी की आड़ में कम्पनी मालिकों से मिलकर पी एफ की चोरी करता था। वह जिन जिन कम्पनियों की कंसल्टेंसी करता था उन सभी में वहां कार्यरत मजदूरों के बजाय अपने परिवार के सदस्यों को कंपनी में कार्यरत दिखाकर उनका नाम लिख लेता था।

इस प्रकार पी एफ का अंशदान बजाय मजदूरों के नाम के अपनी पत्नी,भाई बेटा व अपनी लड़की आदि के नाम जमा करता था बाद में उसे सुविधानुसार निकलवा लेता था जिसे बाद में कंपनी मालिक व राजपाल आपस में बाँट लेते थे। यह धंधा बखूबी चलता रहता लेकिन एक शिकायत जो एक दावेदार ने सी पी एफ सी को की थी कि उसके दावे को कंपनी मालिक सत्यापित नहीं कर रह है, इस पर सी पी एफ सी ने दावे को तुरंत सत्यापित करवाकर निपटाने का आदेश दिया उस दावे को पी एफ के इन्स्पेक्टर ने एक दिन बाद ही सत्यापित करवाकर दे दिया जबकि कंपनी बंगलौर की थी इसकी जब विजिलेंस ने जांच की तो दिए गए पते पर न तो कोई कंपनी थी न ही कोई आदमी था इस पर इंस्पेक्टर से पूछा कि उसने इस दावे को बंगलौर से एक दिन में ही कैसे सत्यापित करवा दिया इसपर इंस्पेक्टर ने इस गोयल का नाम ले दिया कि दावा सत्यापित के लिए राजपाल गोयल को दिया था। इसके बाद विजिलेंस ने जब बारीकी से जांच की तो राजपाल गोयल के कारनामे उजागर होने लगे। पी एफ अंशदान के इस फर्जीवाड़े का पता चलने पर इस राज पाल गोयल ने सोलह लाख रुपये एक मुश्त पीएफ के खाते में जमा कर दिए इसपर पी एफ विभाग ने राज पाल गोयल के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने हेतु लिखा।

इस शिकायत को पुलिस वालों ने गोयल से मिलकर दर्ज करने के लायक नहीं समझा और मामले बंद कर दिया। इस पर राजपाल गोयल चौड़ा हो गया और उसने ई पी एफ ओ के अधिकारीयों के विरुद्ध ही केस दर्ज करवाने के लिए उन पर वाहियात आरोप जड़ दिया। इस केस में ये पीएफ इंस्पेक्टर सी पी एफ सी ने निलंबित कर रखा है।

ये तो एक राज पाल गोयल का केस है जो सतह पर आ गया नहीं तो हजारों राज पाल गोयल इस विभाग के अन्दर ही बैठे है। पिछले लगभग दो दशक से ई पी एफ ओ में इसके अधिकारियों की मिलीभगत से एक माफिया पैदा हो चुका है जिसका नाम कंसलटेंट है कहने को तो ये कम्पनियों के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर भविष्य निधि विभाग, ई एस आई व अन्य सरकारी विभागों में उपस्थित होते रहते हैं लेकिन वास्तव में ये लोग कंपनियों व सरकारी विभागों के अधिकारियों के बीच दलाली का कार्य करते हैं। आज अधिकांश कंपनी वाले सरकारी विभागों से काम निकलवाने को इन तथाकथित कंसल्टेंटों की सेवाएँ लेना बेहतर समझते हैं। सरकारी अधिकारी भी सीधे कंपनी वालों से घूस की बात करने की बजाय इन्ही दलालों के माध्यम से सौदा तय करना सुरक्षित समझते हैं। ये बात अलग है कि इन दलालों के बीच में रहने से घूस की रकम का बड़ा हिस्सा ये तथाकथित कंसल्टेंट खुद हड़प जाते हैं। अभी इसी जनवरी महीने में मुंबई में एक पी एफ इंस्पेक्टर व एक कंसलटैंट को तेरह लाख की घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

मजदूर मोर्चा ने जब इसकी तह जाकर पड़ताल की तो चौंकाने वाली जानकारी मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सलाहकार बाहर वाले ही नहीं है बल्कि आज पी एफ व ई एस आई सी में यहाँ के कर्मचारी भी इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ई पी एफ ओ व ई एस आई सी के लगभग हर कार्यालय में दस से बीस तक कर्मचारी कम्पनियों की कंसल्टेंसी करते हुए मिल जायेंगे। वर्तमान सी पी एफ सी की जानकारी में जब ये बात आई तो उन्होंने पी एफ के कई कार्यालयों से कुछेक कंसल्टेंसी करने वाले कर्मचारियों का तबादला दूसरे क्षेत्र के कार्यालयों में कर दिया है। यहाँ करनाल कार्यालय में भी एक कर्मचारी को इसी आरोप में भेजा हुआ है। लेकिन उनका कंसल्टेंसी का धंधा लगातार अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है ये कन्सलटेंट केवल इ पी एफ ओ में ही हैं बल्कि ई एस आई सी के कर्मचारी भी इसी तरह कंसल्टेंसी करते हैं।

ई पी एफ ओ में तो इन दलालों की तूती बोलती है यहाँ के अधिकारियों की क्या मजाल कि इनकी मर्ज़ी के बगैर कंपनियों से एक कागज भी मंगा सकें। नए नए इंस्पेक्टरों को तो सही काम के लिए भी इनकी जी हजूरी करनी पड़ती है अन्यथा तो उसके एक आध महीने भर में ही फ़ेल होने के पूरे हालात बन जाते हैं। नए इंस्पेक्टरों को तो कंपनियों के निरीक्षण के लिए पूरी तरह से इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है चूंकि इन कंसल्टेंटों के पास कई कई कम्पनियो का कार्य होता है इसलिए इनके पास समय भी कम होता है और यदि ये लोग खाली भी हों तो भी नए इंस्पेक्टरों को दो दो महीने तक टालते रहते हैं जब तक इंस्पेक्टर इनकी पूरी तरह से मिन्नत की स्थिति में नहीं आ जाता। इसमे इनका एक उद्देश्य होता कि इंस्पेक्टर इतना थक जाए कि वह जब निरीक्षण करे तब अपनी इंस्पेक्टरी ज्यादा न दिखाये चुपचाप अपनी फीस ले और मनचाही रिपोर्ट लिख दे और ई पी एफ ओ में हो भी ये ही रहा है। इन कंसल्टेंटों का काम कंपनियों का फर्जी रिकार्ड तैयार करने का भी होता है अधिकांश कम्पनियाँ मजदूरों को न्यूनतम पगार भी नहीं देती हैं लेकिन रिकार्ड में इनकी पगार को 6500 रुपए से अधिक दिखाती है ताकि उन्हे पी एफ की कटौती न करनी पड़े उनके इस काम को ये दलाल बखूबी करते हैं। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी कंपनी वाले अपने ही घरवालों को अपनी कंपनी में कार्यरत दिखाते हैं तथा जो पी एफ का अंशदान मजदूरों के नाम से जमा होना चाहिए उसे वे अपने परिजनों के नाम पर जमा करवाते हैं जिसे ये कन्सलटेंट बखूबी कर रहे है। ईंट भट्टों में तो ये वर्षों से हो रहा है। निरीक्षण हेतु अधिकांश पुराने निरीक्षक तो फैक्टरियों में भी नहीं जाते हैं वे या तो इन दलालों के दफ्तरों में या अपने ही कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट लिख देते हैं। इनके वर्चस्व और उच्च अधिकारियों से इनकी सेटिंग के कारण कोई निरीक्षक यदि कुछ काम करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसका निरीक्षण का टारगेट ही पूरा नहीं हो पाता है नियमानुसार एक निरीक्षक को एक महीने में 21 निरीक्षण करके उनकी रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करनी चाहिए हालांकि इतने निरीक्षण व्यावहारिक रूप से होते नहीं है यदि कोई निरीक्षक एक महीने में 21 निरीक्षण कर रहा है तो वह बिना इन दलालों की मिलीभगत के कर ही नहीं सकता। नये निरीक्षक को अपना टारगेट पूरा करने के लिए मजबूरी में इन दलालों से मिलकर काम करना पड़ता है। और तो और धारा 7- क की सुनवाई के हजारों मामले ई पी एफ ओ में वर्षों से इन दलालों के कारण ही लटके पड़े हैं ये कभी तारीखों पर पहुँचते ही नहीं है जिस पर सुनवाई हेतु अगली तारीख देनी पड़ती हैं।

गतांक की चीर-फाड़

मज़दूर मोर्चा के 1-15 मार्च 2015 के अंक में देश के राजनीतिक और प्रशासकीय मुद्दों पर लेख पढने को मिले। 'बेगुनाह हत्यारोपी 22 माह बाद जेल से छूटे' व 'डी जी पी ने दी बधाई व धन्यवाद' लेखों में पुलिस की कार्यशैली व उसकी दबंगाई का वर्णन पुलिस की विश्वनीयता पर सबालिया निशान लगाता है। किसी बेगुनाह को किसी भी झूठे मामले में फ़ंसाना व उसको सज़ा दिलाना तथा दोषी को बचाना पुलिस के बांए हाथ का खेल है। आवश्यकता है ऐसा कानून बने जिसके अन्तर्गत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित हो। हरिशंकर परसाई का व्यंग्य 'इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर' पुलिस की वर्तमान कार्यशैली की हकीकत को ब्यान करता है। लेख 'मैराथन दौड़! पर्यावरण के नाम पर हुड्डा की नौटंकी' वास्तव में मैराथन दौड़ आयोजित करने के औचित्य पर ही सवाल खड़ा करता है। देश में किसी न किसी बहाने मैराथन दौड़ आयोजित करने का फैशन चल पड़ा है।

प्रदूषण-मुक्त करने के सम्बंध में कोई ठोस कार्यवाही करने की अपेक्षा मैराथन दौड़ आयोजित करके मुख्यमंत्री हुड्डा को खुश करने की कोशिश की गई है। इसमें शामिल होने वाले प्रत्येक प्रतिभागी से रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम से 50 रुपए से 350 रुपए लिए गए। यह कोई पूछनेवाला नहीं कि रजिस्ट्रेशन के नाम से चंदा वसूली क्यों की गई। एक अन्य लेख 'हुड्डा सरकार की मुफ़्त इलाज योजना मात्र एक छलावा' में मुख्यमंत्री मुफ़्त इलाज योजना की सही पोल खोली गई है। इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में मुफ़्त इलाज, दवाई व सभी तरह की जांच शामिल है, परंतु वास्तविकता में यह कोरी मृग तृष्णा ही है। यह हुड्डा सरकार का चुनावी स्टंट है जैसा कि राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी ही मुफ़्त इलाज योजना लागू की थी। परन्तु इस योजना से कोई ठोस लाभ नहीं हुआ और चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही धराशाही हो गई।

लेख 'लोक सभा चुनाव: क्या करेगा आम आदमी ?' में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र विभिन्न रानीतिक दलों की स्थिति व भूमिका का सटीक विश्लेषण किया गया है। परंतु लेखक द्वारा अरविंद केजरीवाल के आलोचकों को खुर्राट नेता, भ्रष्ट अफ़सरान व मध्यमवर्गीय पाखंडी किस्म के लोग़ कहना लेखक की केजरीवाल के प्रति अन्तरंग प्रतिबद्धता ज़ाहिर होती है। यह उसी प्रकार से है जैसे 2004 के लोकसभा चुनाव के समय भाजपा के इंडियास शाइनिंग अभियान पर प्रश्न उठाने वाले का भाजपा द्वारा उन पर कटाक्ष करते हुए मज़ाक उड़ाया जाता था। स्तम्भ 'तुर्की-ब-तुर्की' ने मज़दूर मोर्चा की प्रासंगिकता व उपयोगिता बढा दी है। आशा है यह स्तम्भ आगे भी ज़ारी रहेगा।

- डॉ.जुगल किशोर गुप्ता

फार्म संख्या-2

घोषणा पत्र-नियम 3 देखें

मैं सतीश कुमार, पुत्र स्वर्गीय श्री निरंजन सिंह एतद् घोषित करता हूं कि मैं ''मज़दूर मोर्चा'' पाक्षिक पत्र का स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक हूं जिसे 1 डी/2 बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फ़रीदाबाद से प्रकाशित किया गया है। तथा उक्त समाचार पत्र के सम्बंध में जो विवरण नीचे दिया गया है, वह मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है-

1. समाचार पत्र का नाम	मज़दूर मोर्चा
2. पत्र की भाषा	हिन्दी
3. प्रकाशन की अवधिकता	पाक्षिक
4. समाचार पत्र का खुदरा बिक्री मूल्य	2 रु.(दो रुपये)
5. प्रकाशन का नाम	सतीश कुमार
राष्ट्रीयता	भारतीय
6. पता	1 डी/बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फ़रीदाबाद
प्रकाशन का स्थान	1/डी 2 बी.पी.नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फ़रीदाबाद
7. मुद्रक का नाम	सतीश कुमार
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	1 डी/2बी.पी.नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फ़रीदाबाद
8. उन मुद्रण प्रेसों का नाम जहां मुद्रण कार्य किया जाता हो तथा उन परिसर/ परिसरों का सही विस्तृत विवरण जिसमें प्रेस लगा हो-	रोनिजा प्रिंटर्स 3 बी-6 एनआईटी फ़रीदाबाद
9.सम्पादक का नाम	**सतीश कुमार**
नागरिकता	**1डी/2 बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी, फरीदाबाद।**